न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 36/19 GCMS NO 2019/00099

1. धमसु पुत्र ठण्डी
2. खेमराज पुत्र ठण्डी जातियान मीना निवासीयान गोविन्दपुरा की झोपडी तहसील सपोटरा जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. गिर्राज प्रसाद पुत्र गन्नूराम जाति मीना निवासी परीता तहसील व जिला करौली
2. श्रीमोहन पुत्र लक्ष्मण जाति मीना निवासी भडक्या तहसील व जिला करौली
3. केल्ला पुत्र परसादी
4. छोटे पुत्र परसादी जातियान मीना निवासीयान गोविन्दपुरा तहसील सपोटरा जिला करौली(मृतक)

4/1. छगनबाई बेवा छोटे निवासी गोविन्दपुरा की झोपडी हाल प्रेमनगर जगतपुरा जयपुर

4/2. कमल पुत्र छोटे

4/3. बाबू सिह पुत्र छोटे निवासीयान गोविन्दपुरा की झोपडी तहसील सपोटरा जिला करौली

4/4. दिनेश पुत्र छोटे

4/5. हरिओम पुत्र छोटे निवासीयान गोविन्दपुरा की झोपडी तहसील सपोटरा हाल निवासी ए–112 प्रेमनगर जगतपुरा जयपुर

4/6. लाली पुत्री छोटे पत्नि नेता मीना निवासी गोविन्दपुरा की झोपडी हाल निवासी मनेमा जिला करौली

4/7. सुमरत पुत्री छोटे पत्नि लाखन निवासी गोविन्दपुरा की झोपडी हाल निवासी मेडी जिला करौली

5. किरोडी बाई पुत्री सुकलाल
6. मोटा बाई पत्नि रामजीलाल जातियान मीना निवासीयान हिन्जापुर तहसील सपोटरा जिला करौली
7. अशोक कुमार पुत्र रामकेश जाति मीना निवासी सेवियापुरा तहसील सपोटरा जिला करौली
8. सुनिता पत्नि दिनेश जाति मीना निवासी गोविन्दपुरा की झोपडी तहसील सपोटरा हाल निवासी ए–112 प्रेमनगर जगतपुरा जयपुर
9. मोहरबाई पत्नि रामचरण पुत्री ठण्डी जाति मीना निवासी रामापुरा तहसील व जिला करौली
10. रामपति पत्नि स्व0श्रीराम पुत्री ठण्डी जाति मीना निवासी मोहचा की झोपडी श्रीमहावीरजी
11. नर्वदा पत्नि मंगल पुत्री ठण्डी जाति [illegible]डी श्रीमहावीरजी
12. हुकुमबाई पत्नि भरतलाल पुत्री ठण्डी जाति मीना [illegible]वद तहसील नादौती जिला करौली
13. शाखा प्रबंधक अरावली क्षैत्रिय ग्रामी[illegible] बैंक शाखा [illegible]
14. लैण्ड होल्डर तहसीलदार सपोटरा जिला करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:57:25 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

रैस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 10/17 निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 28.5.19 न्यायालय उपजिला कलक्टर, सपोटरा)

अभिभाषक अपीला0 श्री नवल किशोर शर्मा

अभिभाषक रैस्पो0 संख्या 6 की और से श्री विष्णु चंद बंसल

रैस्पो0 संख्या 9 ता 11 की और से श्री पवन कुमार शर्मा

दिनांक 13.11.2024

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 28.5.19 न्यायालय उपजिला कलक्टर, सपोटरा पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांट/वादी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,88 व 188 आर टी एक्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी ख0न0 18 रकबा 9 बीघा 5 विस्वा वाके ग्राम कुडगांव तहसील सपोटरा मे स्थित है जिसमे वादीगण एवं प्रतिवादीगण 9 ता 12 का हिस्सा 1/4 है। प्रतिवादी न0 1 व 2 का हिस्सा 1/16 , प्रतिवादी संख्या 3 का हिस्सा 1/4 , प्रतिवादी संख्या 4 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 व 6 को हिस्सा 1/8 , प्रतिवादी संख्या 7 का हिस्सा 1/16 तथा प्रतिवादी संख्या 8 का हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 के हिस्से 1/4 मे से 20/185 हिस्सा है। सभी उभय पक्षकारान अपने अपने हिस्से अनुसार फसल काश्त कर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। उक्त विवादित आराजीयात वादीगण के पिता के खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि है। वादीगण के पिता ठण्डी का दिनांक 10.12.09 को स्वर्गवास हो चुका है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 9 ता 12 मृतक ठण्डी के बैध वारिसान है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 9 ता 12 पिता के साथ व उसके स्वर्गवास होने के पश्चात से ही विवादित आराजीयात पर अपने हिस्से 1/4 पर काबिज काश्त चले आ रहे है एवं मौके पर फसल काश्त कर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। विवादित आराजीयात का पिता के स्वर्गवास होने के उपरान्त भी आज तक वारिसान का नामा0 नही खोला गया है। जिसके वादीगण हकूक अधिकारी है। राजस्व रिकार्ड मे वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 9 ता 12 की घोषणा खातेदारी दर्ज किया जाना न्यायोचित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 9 ता 12 ठण्डी पुत्र परसादी के बैध वारिसान है इसके अलावा ठण्डी परसादी का अन्य कोई वारिसान नही है। वादीगण की मॉ रामोदी देवी का दिनांक 5.6.96 को स्वर्गवास हो चुका है। विवादित आराजीयात पर बहामी बंटवारे अनुसार काबिज काश्त है। दिनांक 17.2.17 को जब वादीगण विवादित आराजी पर गये तो प्रतिवादी संख्या 3 व 4 मौके पर आये ओर वादीगण को अपने हिस्से की भूमि पर जाने वाले रास्ते को रोक दिया और कहॉ कि हम तुम्हे हमारे खेत मे होकर रास्ता नही देगे तुम दीगर पडोसी खातेदार से रास्ता खरीदकर अपनी भूमि पर जाओ। वादीगण ने काफी समझाईश की परन्तु नही माने। प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के मन मे बदनियती आने से रोड के तरफ के हिस्से की भूमि को [illegible] केता के मौके पर आने से मौके पर विवाद उत्पन्न हो गया है। प्रतिवादी संख्या 4 ने अपनी पुत्रबधु

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:57:25 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

प्रतिवादी संख्या 8 को जरिये विक्रय पत्र वय करने से तथा प्रतिवादी न0 8 द्वारा मौके पर पेट्रोल पम्प के लिए सडक की तरफ के हिस्से पर नींव खोदकर निर्माण कार्य शुरू कर दिया। वादीगण ने दर्ज भूमि का बंटवारा विधिवत कराने को कहा तो प्रतिवादीगण झगडा फसाद पर आमादा हो गये। इसलिए विवादित आराजीयात का हिस्सा राजस्व रिकार्ड के अनुसार बंटवारा किये जाने, वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 9 ता 12 के पिता ठण्डी पुत्र परसादी व माता रामोती पत्नि ठण्डी का स्वर्गवास हो जाने से पिता के नाम की उक्त दर्ज खातेदारी भूमि की घोषणा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 9 ता 12 के नाम राजस्व रिकार्ड मे कराने एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार सपोटरा को मौका कमिश्नर नियुक्त कर बटवारा स्कीम तलब किये जाने के आदेश दिये जाने से व्यथित होकर यह अपील अपीलांट/वादीगण द्वारा इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 3 को अपीलांट के पक्ष मे साबित माना है जिस तनकी अनुसार पक्षकारान के मध्य विवादित आराजी का बाई मीटस एवं बाउण्डस बंटवारा कराने व विवादित आराजी की खातेदारी की घोषणा अपीलांट वादीगण व रेस्पो0 प्रतिवादी संख्या 9 ता 12 के नाम किये जाने के अनुतोष हेतु निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। जबकि अधिनस्थ न्यायालय ने अनुतोष मे तनकी के विपरीत घोषणा का अनुतोष प्रदान नही किया है और बंटवारे का अनुतोष बाबत गलत तरीके से बाहमी बंटवारा अनुसार प्रतिवादीगण बंटवारा कराने के अधिकारी होना निर्णित किया है जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा कोई काउन्टर क्लेम नही रहा है और प्रतिवादी संख्या 1,2,3,7 व 9 ता 13 बाबजूद तामिल उपस्थित नही हुए है। केवल प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 द्वारा जबाब दावा पेश किया गया है। जबाब दावे मे पक्षकारान के बीच आराजी का विधिवत बंटवारा नही होना स्वीकार किया है और बाहमी बंटवारा अनुसार काबिज होना बताया है। लेकिन बाहामी बंटवारा मे किस प्रकार को किस ख0न0 मे काबिज कराया गया इस बाबत कोई अभिबच व साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे बाहमी बंटवारा अनुसार बंटवारा किये जाने की प्राथमिक डिक्री पारित की है। जो पूर्णतया भ्रामक है। जिसका अनुचित लाभ उठाकर रेस्पो0 सडक से लगी हुई अच्छी एवं कीमती भूमि पर काबिज होकर अपने पक्ष मे बंटवारा स्कीम तैयार कराने पर उतारू है। जबकि वादी/अपीलांट ने मीटस एण्ड बाउण्डस अनुसार बंटवारा कराने की प्रार्थना की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 3 का निर्णय विधि विरूद्ध किया है क्योंकि स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष इस प्रकार प्रदान किया जाना चाहिए था कि प्रतिवादीगण वादी के हिस्से मे आई आराजी मे उसके कब्जे काश्त मे कोई व्यवधान पैदा नही करे इस कारण अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। तनकी संख्या 4 गलत एवं विधि विरूद्ध तरीके से विचरित की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:57:25 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

क्योकी वादीगण द्वारा बाहमी बंटवारा अनुसार दावा डिक्री किये जाने का अभिबचन नही किया गया है। इस कारण अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त योग्य है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर विवादित आराजीयात का मीटस एण्ड बाउन्डस बंटवारा किया जावे तथा आराजी मे हिस्से अनुसार खातेदारी वादीगण के हक मे घोषित की जाकर वादीगण के कब्जे काश्त मे व्यवधान पैदा नही करने हेतु रेस्पो0 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया कि आराजी ख0न0 18 रकबा 9 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम कुडगांव तहसील सपोटरा मे स्थित है। जिसका बाहमी बंटवारे अनुसार उभयपक्ष अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। अपीलांट/वादी द्वारा वाद पत्र मे यह तथ्य अंकित नही किये गये कि विवादित आराजीयात के कौन कौन से हिस्से पर वादी एवं कौन से हिस्से पर प्रतिवादी काबिज काश्त है। अपीलांट/वादीगण के मन मे बदनियती आ गई है जो प्रतिवादीगण को नाजायज हेरान परेशान करने के उद्वेश्य ये दावा झूठे तथ्यो के आधार पर पेश किया है। प्रतिवादीगण/रेस्पो0 द्वारा पशुओ व मिटटी का कटाव रोकने के लिए मेडबंदी का कार्य करवाया था। आम रास्ता ग्रेवल सडक से उभय पक्षकारान के हिस्सा अनुसार रास्ता देने मे प्रतिवादीगण को कोई परेशानी नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार सपोटरा को मौका कमिश्नर नियुक्त कर विवादित आराजीयात का वादी/अपीलांट द्वारा चाहे अनुसार हिस्सा अनुसार बाहामी बंटवारे अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है तथा उसी अनुसार बंटवारा स्कीम तहसीलदार से दिनांक 18.6.19 से पूर्व चाही गई थी। इससे पूर्व ही वादी/अपीलांट द्वारा इस न्यायालय मे अपील दिनांक 9.8.17 को प्रस्तुत कर दी गई। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट/वादी के मन मे बदनियती आ जाने से वह आये दिन मुकदमे बाजी करने लगा है। बंटवारा स्कीम अधिनस्थ न्यायालय मे प्राप्त ही नही हुई इससे पूर्व ही अपीलांट/वादी द्वारा यह अपील पेश कर दी गई । जो विधि के विरूद्व होने से अपीलांट की अपील खारिज योग्य है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अपील पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात आराजी ख0न0 18 रकबा 9 बीघा 5 विस्वा वाके ग्राम कुडगांव तहसील सपोटरा मे स्थित है जिसमे वादीगण एवं प्रतिवादीगण 9 ता 12 का हिस्सा 1/4 है। प्रतिवादी न0 1 व 2 का हिस्सा 1/16 , प्रतिवादी संख्या 3 का हिस्सा 1/4 , प्रतिवादी संख्या 4 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 व 6 को हिस्सा 1/8 , प्रतिवादी संख्या 7 का हिस्सा 1/16 तथा प्रतिवादी संख्या 8 का हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 के हिस्से 1/4 मे से 20/185 हिस्सा होने का कथन अपीलांट ने किया है। अपीलांट के कथनानुसार सभी उभय पक्षकारान अपने अपने हिस्से अनुसार फसल काश्त कर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। अपीलांट/वादीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे वाद पेश कर कब्जे अनुसार ही बंटवारा करने की इस्तदुआ चाही गई थी। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अनुसार प्राथमिक ... किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मे उभयपक्ष सहखातेदार होने के ... स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष खारिज किया गया है। जो विधि के अनुरूप है क्योकि सहखातेदार को स्थाई निषेधाज्ञा

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:57:25 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

से पाबन्द किया जाना विधि विरूद्व है। अपीलांट/वादी द्वारा अपील बंटवारा स्कीम प्राप्त होने से पूर्व ही इस न्यायालय मे पेश कर दी गई जिसके कारण बंटवारा स्कीम पत्रावली मे संलग्न नही हो सकी। यदि अपीलांट/वादीगण को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मुताबिक बहामी बंटवारा खातेदार घोषित करने मे ऐतराज था तो उनके द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे ऐतराज पेश करना चाहिए था। जो उनके द्वारा नही कर सीधे ही अपील दायर की गई है। इस प्रकार अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर सपोटरा के मुकदमा न0 10/17 मे पारित निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 28.5.19 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:57:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner